(b) whether to help the drought area people, Government are taking up the work to have a big industry there; and

(c) if so, whether any proposal for financial assistance from any private party has been received for setting up the industry?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Investment plan of SAIL for the 9th Plan

944. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether the Steel Authority of India Limited (SAIL) has finalised its investment plan for the 9th Plan;

(b) if so, the amount of investment proposed to be made by the Raw Material Division during the 9th Plan;

(c) the various heads on which that amount of investment is proposed to be made; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PULIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise, in view of (a) above.

कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा घटिया क्वालिटी के और राखयुक्त कोयले की आपूर्ति

945. श्री राम जेठमलानी: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऑल इंडिया मेटल फोर्जिंग इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रवक्ता ने कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयले के मूल्य में की गई वृद्धि और घटिया क्वालिटी के और राखयुक्त कोयले की आपूर्ति के विरुद्ध गत कुछ महीनों में शिकायतें भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन शिकायतों की सत्यता की जांच करायी है;

(ग) यदि हां, तो जांच किस व्यक्ति/एजेन्सी ने की और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए सप्लाई किए जा रहे कोयले की मात्रा और क्वालिटी के लिए गारण्टी सुनिश्चित करने का कोई प्रावधान है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) दिनांक 20.10.96 को कोल इंडिया लि. (को.इ.लि.) द्वारा घोषित कीमत संशोधन के विरुद्ध अखिल भारतीय धातु गढ़ाई संघ द्वारा को.इ.लि. को एक अभ्यावेदन भेजा गया था। स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि. ("सेल") ने भी दिनांक 20.10.1996 से किए गए कोयले की कीमतों में संशोधन पर को.इ.लि. से अपनी चिंताएं व्यक्त की। ("सेल") ने को.इ.लि. से आपूर्तित किए गए कोयले की गुणवत्ता में सुधार किए जाने का भी अनुरोध किया था।

को.इ.लि. को संबोधित उपरोक्त अभ्यावेदन शिकायतें नहीं थीं।

(ख) तथा (ग) यह अभ्यावेदन सरकार को संबोधित नहीं किए गए थे और चूंकि ये शिकायतें नहीं थीं, अत: सरकार द्वारा किसी तरह की जांच किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) "सेल" को आपूर्ति किए जा रहे कोयले की गुणवत्ता के संबंध में, राख की मात्रा में होने वाली प्रत्येक प्रतिशत वृद्धि हेतु कोयले की कीमतों में छूट दी जाती थी। इसी प्रकार राख की मात्रा में प्रत्येक प्रतिशत कमी हेतु अधिलाभांश (बोनस) का दावा किया जाता है। किसी भी उपभोक्ता को आपूर्ति किए जा रहे कोयले की मात्रा का निर्धारण, संयोजन समिति द्वारा कोयला के आपूर्तिकर्ता, परिवहन-चालकों तथा कोयले के उपभोक्ताओं के साथ परस्पर विचार-विमर्श किए जाने के बाद किया जाता है। संयोजनों के एवज् में कार्य-निष्पादन की पाक्षिक रूप से समीक्षा की जाती है तथा अपेक्षित रूप में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

Patenting of neem pesticide

946. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware of a report published in the Times of India dated 28th October, 1996 under the captain 'German firm patents neem pesticide';

(b) if so, the reaction of the Government thereto; and

(c) the steps being taken to protect the interests of the country?